तत् त्वं पूषन् अपावृणु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
18 संस्थानिक क्षेत्र (Institutional Area)
शहीद जीत सिंह मार्ग, Shaheed Jeet Singh Marg
नई दिल्ली / New Delhi – 110016
Website: www.kvsangathan.nic

SPEED POST

F. 11058-प्राथ.शि./2021/केविसं–मु./आर.पी.एस./570-72 दिनांक – 04 05.03.2019

कार्यालय – आदेश

विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से निम्नलिखित प्राथमिक अध्यापक को भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग के भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं.एफ.5-180/86-यूटी-1 दिनांक 12.08.1987, 03.11.1987 एवं 06.02.1989 द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार Rs.9300–34800/-एवं Rs.4800/–के ग्रेड पे के साथ चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जाता है बशर्ते कि उन्होंने प्राथ.शि. के पद पर प्राप्त वरिष्ठ वेतनमान पर 12 वर्ष की सेवाएं पूर्ण की हों तथा वह चयनित वेतनमान स्वीकृति की तिथि तक उसी पद पर कार्यरत हों । यदि उन्हें कभी भी, किसी भी कारण वश चयनित वेतनमान हेतु अयोग्य पाया जाता है तो इस आदेश को वापिस ले लिया जाएगा तथा चयनित वेतनमान पर आहरित की गई राशि वापिस लौटाना होगी ।

संबधित प्राथ.शिक्षक का चयनित वेतनमान पर वेतन निर्धारण केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों पर लागू वित्तीय नियम–22 (I)(ए)(2) के प्रावधानों के अनुसार ही नियत किया जाएगा । तदानुसार उनके पास विकल्प हैं–(1) नए वेतनमान मे अपना वेतन चयनित वेतनमान देय तिथि से नियत करवा लें या (2) अपना वेतन पुराने पद के वरिष्ठ वेतनमान में अपनी वेतन–वृद्धि की तारीख से नियत करवा लें । यदि संबधित शिक्षक अपना वेतन पुराने पद के वरिष्ठ वेतनमान में अपनी अगली वेतन–वृद्धि की तारीख से नियत करने का विकल्प लेता है तो उनका वेतन उसी चरण पर नियत किया जाएगा, यदि वह चरण उपलब्ध हो या पुराने पद के वरिष्ठ वेतनमान में सामान्य वेतनवृद्धि की स्वीकृति प्रदान करते हुए चयनवेतनमान पर अगला चरण उपलब्ध हो(i.e.in case, the individual opts for fixation of his/her pay w.e.f. the date of his/her next increment in the Senior Scale of the old post, his/her pay will have to be fixed at the same stage if the same stage is available or the next stage in the selection scale after allowing normal increment in the senior scale of the old post.)वेतन निर्धारण का विकल्प संबंधित प्राचार्य को इस आदेश की प्राप्त होने के तिथि से एक महीने के भीतर प्रस्तुत करना होंगा तथा इस संदर्भ में जो भी विकल्प दिया जाएगा वह अंतिम होगा । प्रा0शिक्षकं के विवरण निम्नानुसार है– प्राथमिक शिक्षक– Rs.9300–34800/- एवं ग्रेड पे Rs.4800/–

कम सं0	प्राथमिक शि अध्यापक का नाम	के0वि0 का नाम	प्रा0शि0 के पद पर कार्यभार ग्रहण तिथि	प्रा0शि0 के पद पर वरिष्ठ वेतनमान तिथि	चयनित वेतनमान स्वीकृति की तिथि
1	**श्री एस दास वैष्णव** SH S DAS VAISHNAV	NO 3 KORBA	20.09.1986	20.09.1998	06.01.2013*

सोना सेठ

(सोना सेठ)

सहायक आयुक्त (शैक्षिक एवं आरपीएस)

प्रतिलिपि प्रेषित –

1– उपायुक्त, के.वि.सं. संभागीय कार्यालय **रायपुर को उनके पत्र दिनांक 21-09-2020 के संदर्भ में सूचनार्थ ।**

2 **उपायुक्त** (शैक्षिक एवं ईडीपी) **को इस निवेदन के साथ** कि **वे इस कार्यालय आदेश को के.वि.सं. मु. की वैब साइट में अपलोड करें ।-**

3 प्राचार्य , केन्द्रीय विद्यालय **न. 3 कोरबा** को **सूचनार्थ तथा उनसे** प्रार्थना की जाती है कि–

क– चयनित वेतनमान प्रदान करने से पहले आदेश में संबधित शिक्षक के दिये गए विवरण उनके सेवा रिकार्ड से जांच लिए जांए । यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि किसी भी संबधित शिक्षक की पदोन्नति की तिथि उनके चयनित वेतनमान स्वीकृति की तिथि से पूर्व न हों । कोई भी त्रृटि पाए जाने पर आदेश प्राप्ति की तिथि से 15 दिन के अंदर इस कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करें ।

ख– संबधित शिक्षक से निर्धारित प्रोफोर्मा में वचनबंध – तीन प्रति– ले ली जाएं जिसकी एक प्रति उसके सेवा–पुस्तिका, दूसरी प्रति उसके व्यक्तिगत–मिसिल तथा तीसरी प्रति संबधित संभागीय कार्यालय को सूचनार्थ अग्रेषित की जाए ।

ग–इस आदेश को प्रभावित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि (1) संबधित शिक्षक के खिलाफ कोई सतर्कता मामला/विभागीय कार्रवाई लंबित ना हो और (2) सबधित शिक्षक ने चयनित वेतनमान देय तिथि से पिछले 06 वर्षो में 21 दिवसीय सेवाकालीन प्रशिक्षण ग्रहण किया हो ।

घ–अन्य विवरण जैसे के.वि. का नाम,पदभार ग्रहण तिथि/वरिष्ठ वेतनमान देय तिथि भी जांच ली जाएं ।